28

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम.के. सिंह

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 32–एक/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 18–9–15 पारित द्वारा अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर प्रकरण कमांक अपील 585/अ–6/12–13.

———

ब्रम्हदत्त तिवारी पिता रामविशाल तिवारी
निवासी ग्राम बरही तहसील
जिला कटनी म0प्र0 .....आवेदक

विरुद्ध

1. शिवेन्द्र सिंह पिता मेजर प्रकाश सिंह
   द्वारा मुख्त्यार पिता मेजर प्रकाश सिंह,
2. म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर, कटनी म.प्र. ..... अनावेदकगण

———

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री व्ही0 एन0 शुक्ला ।
अनावेदक कं0 1 एवं की ओर से अधिवक्ता श्री एन0 पी0 पाण्डे ।

———

:: आदेश ::

(आज दिनांक 5-9-2016 को पारित)

———

यह निगरानी अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के अपील प्रकरण कमांक 585/अ–6/12–13 में पारित आदेश दिनांक 18–9–2015 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा तहसील न्यायालय में दिनांक 24–2–11 को संहिता की धारा 115 एवं 116 के तहत इस आशय का आवेदन पेश किया गया कि उसके पिता द्वारा ग्राम बरही स्थित भूमि खसरा नं. 915, 916/1, 914/3 कुल रकबा 0.495 हैक्टर भूमि पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 21–7–92 को कय कर उसका कब्जा प्राप्त किया था । विकयपत्र के आधार पर नामांतरण की

कार्यवाही संशोधन कमांक 107 आदेश दिनांक 22–8–1992 के अनुसार की गई । आवेदन में यह भी अभिवचन किया गया कि खसरा नं. 914/1 रकबा 0.121 हैक्टर पटवारी द्वारा भूलवश नामांतरण नहीं किया गया तथा रामविशाल की मृत्यु के बाद उसके वारिसान का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है अतः उनका नाम पृथक कर अनावेदक कमांक 1 का नाम दर्ज किया जाये । उक्त आवेदन पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर आवश्यक कार्यवाही उपरांत तहसीलदार ने आदेश दिनांक 23–7–12 द्वारा आवेदन स्वीकार कर अनावेदक का नाम सुधार करने का आदेश दिया । इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की जिसमें उन्होंने इस आधार पर स्वीकार की कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा विवादित आराजी के संबंध में समय–समय पर हुए नामांतरण के संबंध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है तथा संहिता की धारा 115, 116 के तहत विलंब से प्रस्तुत आवेदन पोषणीय नहीं है । वादग्रस्त आराजी के संबंध में स्वत्व का विवाद उद्भूत होने से अनावेदक व्यवहार वाद के माध्यम से निराकरण हेतु स्वतंत्र हैं । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में द्वितीय अपील पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा स्वीकार की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ यह तर्क दिया गया कि आवेदक के पिता द्वारा अनावेदक कमांक 1 के पिता द्वारा विक्रयपत्र में कपटपूर्वक दर्ज कराए गए खसरा नं. 914/1 के संबंध में तत्समय नामांतरण पर आपत्ति की गई थी जिसे मान्य कर भूमि की चौहद्दी अनुसार नामांतरण का आदेश दिया गया था तथा खसरा नं. 914/1 रकबा 0.121 को पृथक रखा गया ।

यह तर्क दिया गया कि विचारण न्यायालय द्वारा कार्यवाही स्वप्रेरणा से प्रारंभ न करते हुए पक्षकार के आवेदन पर प्रारंभ की गई है, संहिता की धारा 116 के तहत आवेदन पर कार्यवाही किए जाने के लिए समय सीमा एक वर्ष निर्धारित है । जबकि इस प्रकरण में 22–8–92 के 18 वर्ष से अधिक समय उपरांत आवेदन दिया गया था, जिसे विचारण न्यायालय को निरस्त करना चाहिए था ।

यह तर्क दिया गया कि आवेदक के पिता रामविशाल की मृत्यु हो जाने पर फोती दर्ज किए जाने के समय अनावेदक कमांक 1 द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई तथा फोती के आधार पर आवेदक का नामांतरण किया गया । इस आदेश को कोई चुनौती अनावेदक कमांक 1 द्वारा नहीं दी गई । यह भी कहा गया कि फोती नामांतरण के उपरांत आवेदक एवं उसके भाईयों के मध्य हुए बटवारा प्रकरण कमांक 18/अ–27/10–11 में पारित आदेश दिनांक 30–12–11 में कोई आपत्ति अनावेदक

कमांक 1 द्वारा नहीं की गई । इस आदेश को भी कोई चुनौती अनोवदक कमांक 1 द्वारा नहीं दी गई है । ऐसी स्थिति में उक्त आदेशों के निरस्त हुए बिना अनावेदक का नाम दर्ज करने के आदेश देने में तहसीलदार ने विधिक त्रुटि की है ।

यह तर्क दिया गया कि तहसीलदार द्वारा संशोधन पंजी में दिए गए नामांतरण आदेश अनुसार तथ्यों की स्थिति के संबंध में कोई जांच नहीं की गई ना ही साक्ष्य ली गई । विधिक व्यवस्था अनुसार खसरा नंबर रकबा आदि का विवाद यदि विकयपत्र से संबंधित है तो विकयपत्र में दर्ज चौहद्दी मान्य की जायेगी, इस व्यवस्था को तहसीलदार द्वारा अनदेखा किया है । यह कहा गया कि उक्त तथ्यों को अनदेखा करने के कारण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार के आदेश को निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई थी । अपर आयुक्त ने बिना किसी विधिक आधार के अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त किया गया है । उक्त आधारों पर उनके द्वारा अपर आयुक्त एवं तहसीलदार के आदेशों को निरस्त कर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया है

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि वर्ष 1992 में हुए नामांतरण में आवेदक के पिता उपस्थित थे उनके द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई । पटवारी द्वारा त्रुटिवश 914/1 सर्वे नंबर पर अनावेदक का नाम दर्ज नहीं किया गया । अतः तहसीलदार एवं अपर आयुक्त के जो आदेश इस प्रकरण में हैं वे कानूनन विधिसम्मत हैं, जिन्हें स्थिर रखा जाना चाहिए ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को पर विचार किया गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष दिनांक 24–2–11 को संहिता की धारा 115 एवं 116 के तहत इस आशय का आवेदन पेश किया गया कि उसके पिता द्वारा ग्राम बरही स्थित भूमि खसरा नं. 915, 916/1, 914/3 कुल रकबा 0.495 हैक्टर भूमि आवेदक के पिता रामविशाल से पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 21–7–92 को कय कर उसका कब्जा प्राप्त किया था । विकयपत्र के आधार पर नामांतरण की कार्यवाही संशोधन कमांक 107 आदेश दिनांक 22–8–1992 के अनुसार की गई । किंतु खसरा नं. 914/1 रकबा 0.121 हैक्टर पर पटवारी द्वारा भूलवश नामांतरण नहीं किया गया, अतः इस सर्वे नंबर पर नाम दर्ज किया जाये । इस आवेदन पर कार्यवाही करते समय तहसीलदार का यह विधिक दायित्व था कि वे इस बिंदु पर विचार करते कि क्या अनावेदक द्वारा कय की गई 0.495 हैक्टर भूमि पर नामांतरण किया गया है अथवा नहीं और किन परिस्थितियों में खसरा नं. 914/1 रकबा 0.121 हैक्टर पर नाम दर्ज नहीं किया गया । प्रकरण में यह भी

विचारणीय बिंदु है कि तहसीलदार के समक्ष अनावेदक द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 24.2.11 को पूर्व नामांतरण आदेश के लगभग 19 वर्ष से अधिक समय के पश्चात संहिता की धारा 116 के तहत प्रस्तुत किया गया है जबकि संहिता की धारा 116 के अंतर्गत आवेदन पर प्रविष्टि संशोधित करने के लिए एक वर्ष की समय सीमा निर्धारित है । तहसीलदार द्वारा इस तथ्य को भी अनदेखा किया गया है इस दौरान प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक के पिता रामविशाल की मृत्यु के बाद उनके वारिसान का नामांतरण किया गया है । वारिसाना नामांतरण के उपरांत आवेदक एवं उसके भाईयों के मध्य प्रश्नाधीन भूमि का बटवारा हुआ है । इन आदेशों को कोई चुनौती अनावेदक द्वारा नहीं दी गई है इस कारण उक्त आदेश अंतिम हो गये हैं इस तथ्य को भी तहसीलदार द्वारा अनदेखा किया गया है । अतः इस प्रकरण में निश्चित रूप से स्वत्व का गंभीर प्रश्न निहित हो गया है जिसके निराकरण का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है । अतः स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा क्षेत्राधिकार रहित कार्यवाही की जाकर आदेश पारित किया गया है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार के आदेश को निरस्त करने में किसी प्रकार की अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई थी इसके बावजूद अपर आयुक्त द्वारा उपरोक्त वैधानिक एवं तथ्यात्मक स्थिति पर बिना विचार किये अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त करने में न्यायिक त्रुटि की गई है इसलिए उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–9–15 निरस्त किया जाता है एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–1–13 स्थिर रखा जाता है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर